राजस्थान में डेयरी विकास के लिये 1000 करोड़ रुपए का ''कोरपस फण्ड'' बनाने की मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए राज्यभर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिये 1000 करोड़ रुपये के ''कोरपस फण्ड'' बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के लिये जारी की गई है। डेयरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले दो दशकों में पहली बार यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। साथ ही डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी।

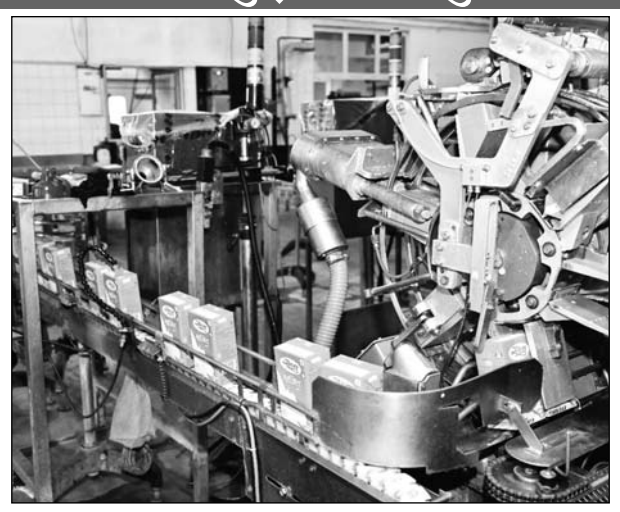

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। स्वीकृत राशि से राज्यभर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जावेगा। उन्होंने बताया कि अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लान्टस की स्थापना की जावेगी। इसके साथ ही सीकर-झुन्झुनुं, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लान्टस का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में भी नये अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जावेगी और जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण किया जावेगा।

- **राज्य सरकार के इस फैसले से आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता भी बढकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन होगी**
- **इसके साथ ही पशु आहार उत्पादन क्षमता भी 2550 मैट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी**

पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 60 मैट्रिक टन क्षमता के नये डेयरी प्लान्टस भी स्थापित किये जाएंगे। श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस बजट के कारण आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकेगी।

वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 2500 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। इसी प्रकार आरसीडीएफ के पाउडर प्लान्टस की वर्तमान क्षमता 165 मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 225 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ''कोरपस फण्ड'' की 10 प्रतिशत राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा।

इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कोरपस फण्ड की 10 प्रतिशत राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जावेगी। कोरपस फण्ड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एएचआईडीएफ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सीडी भारत सरकार और 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सीडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जावेगी।

रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा राजपार्क गुरूद्वारा

गुरुनानक देव की जयंती आज, जयपुर के सभी गुरुद्वारों को फूलों से सजाया

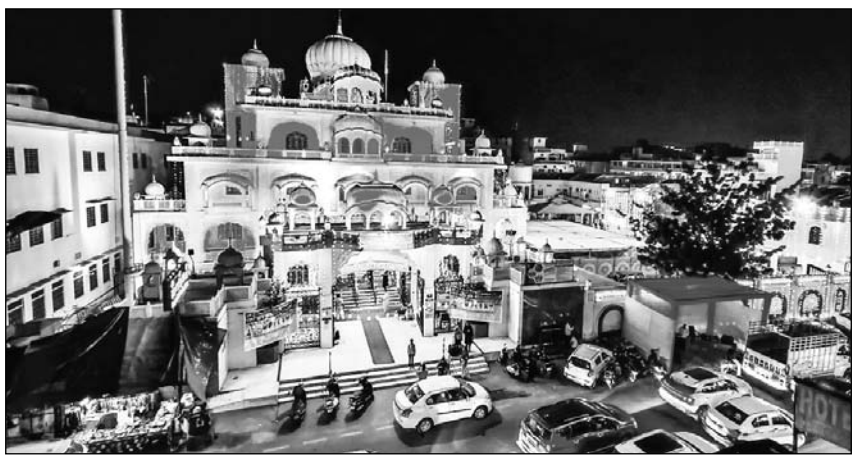

गुरूनानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर राजापार्क स्थित गुरूद्वारे को रोशनी से सजाया गया।

जयपुर। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरुनानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व (जयंती) 5 नवंबर को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर जयपुर के सभी गुरुद्वारों में रोशनी और सजावट की गई है। पूरे परिसर को रंगीन लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है।

गुरुद्वारे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 5 बजे नित नेम से होगी। जो 6.30 बजे तक चलेगा। इसके बाद सुबह साढे सात बजे से आसा दी वार का कीर्तन होगा। इसे दरबार साहब (अमृतसर) के हजूरी रागी जत्था भाई ओंकार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सिख शिक्षण संस्था के बच्चे गुरुवाणी कीर्तन करेंगे। गुरुद्वारे में दोपहर से लेकर शाम तक भी धार्मिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। भाई ओंकार सिंह, भाई तेजेंद्र सिंह और गुरुमत प्रचारक विचारक ज्ञानी किशन सिंह साध संगत के समक्ष गुरुवाणी कीर्तन एवं गुरमत विचार प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान गुरु के उपदेश, जीवन दर्शन और इतिहास पर आधारित विचार साझा किए जाएंगे। इसके बाद प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए अरदास की जाएगी। इस पावन अवसर पर सरबत के भले की अरदास कर समूची मानवता के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी।

राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि जयपुर में आदर्श नगर राजापार्क, वैशाली नगर, कंवर नगर और मानसरोवर गुरुद्वारों में बुधवार की सुबह से ही संगत पहुंचना शुरू हो जाएगी।उन्होंने बताया कि आदर्श नगर गुरुद्वारे में लगभग 25 हजार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहां श्रद्धालु मत्था टेकने के बाद दिनभर लंगर परसादी ग्रहण करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को भी विशेष फूलों और रोशनी से सजाया गया है। गुरुद्वारे के ज्ञानी जगदीश सिंह ने बताया कि गुरु ने कई उपदेश दिए है। इनमें गुरुनानक देव जी के उपदेश नाम जपो, किरत करो, वंड छको के भाव को आगे बढाने के लिए श्रद्धालु सेवा और भक्ति में लीन रहेंगे। जयपुर में प्रकाश पर्व का यह आयोजन न केवल सिख समाज बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी श्रद्धा और एकता का प्रतीक बनेगा।

'गिवअप' अभियान से जुड़कर 42 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं नाम हटवाया

इस कारण राज्य सरकार 69.50 लाख नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ सकी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 42 लाख अपात्र लोगों ने स्वयं ''गिव अप'' अभियान से जुड़कर खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। इससे अब पात्र और वंचित लोगों को फायदा मिलेगा।

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। परंतु यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2024 को आरंभ हुए ''गिव अप'' अभियान में प्रदेशभर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। करीब 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वत: सूची से बाहर हो गए, जिससे नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुन: शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69.50 लाख नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है।

- **खाद्य सुरक्षा योजना में कलैक्टर्स जोड़ सकेंगे लाभार्थी, लोग स्वयं हटा सकेंगे अपना नाम सूची से**

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सक्षम लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये की दर से प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान सरकार की यह पहल 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।

2130 बदमाशों के ठिकानों पर छापा

जयपुर। जयपुर पुलिस ने मंगलवार को बदमाशों के 2130 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर 551 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस की 430 टीमों ने हार्डकोर और वांछित अपराधियों के ठिकानों को चिह्नित कर आठ जिलों में एक साथ दबिश दी थी, जिससे बदमाशों में हडकंप मच गया।

जयपुर डिस्कॉम ने थ्री फेज के सभी खराब मीटर बदले

जयपुर । जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने सभी थ्री फेज (गैर कृषि) उपभोक्ताओं के खराब विद्युत मीटर बदलने में कामयाबी हासिल की है। निगम के सभी 18 सर्किलों में सभी थ्री फेज (गैर कृषि) विद्युत उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदलकर उनके स्थान पर नए कार्यशील मीटर लगा दिए गए हैं। डिस्कॉम को खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत शुल्क में छूट नहीं देनी होगी। इन उपभोक्ताओं को अब एवरेज बिल के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे।

- **अब इन 18 सर्किल क्षेत्र में थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल**

उल्लेखनीय है कि थ्री फेज (गैर कृषि), थ्री फेज (कृषि), सिंगल फेज (शहरी) तथा सिंगल फेज (ग्रामीण) के 2 लाख 20 हजार से अधिक मीटर डिफेक्टिव होने के कारण निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि विद्युत शुल्क में छूट के रूप में उपभोक्ताओं को देनी पड़ी थी। जयपुर डिस्कॉम के प्रयासों का परिणाम है कि अब निगम के सभी सर्किलों में सिंगल फेज (शहरी एवं ग्रामीण), थ्री फेज (कृषि एवं गैर कृषि) में खराब मीटरों की संख्या घटकर मात्र 19 हजार 303 रह गई है और यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम 6 माह में घटकर मात्र 12.50 लाख रूपए ही रह गई है।

जयपुर वितरण निगम में 4 लाख से अधिक गैर कृषि थ्री फेज उपभोक्ता हैं। विगत कुछ माह में निगम के सभी सर्किलों में अभियंताओं ने प्रयास कर 3,388 थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदल दिए। थ्री फेज उपभोक्ता निगम के लिए अधिक विद्युत उपभोग एवं अधिक राजस्व प्रदान करने वाले उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।

डिफेक्टिव मीटर बदलने के प्रयासों के अन्तर्गत जयपुर डिस्कॉम को मिली यह दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले जून एवं जुलाई माह में 8 सर्किलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ एवं साउथ, जेपीडीसी नॉर्थ तथा दौसा सर्किल में सभी श्रेणियों में खराब मीटर बदल दिए गए थे। अब करौली सर्किल भी इस कतार में शामिल हो गया है। निगम के 9 सर्किल जीरो डिफेक्टिव मीटर हो गए हैं। इन सर्किलों में लगातार खराब मीटर को शून्य बनाए रखा जा रहा है।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का आज से होगा सघन निरीक्षण

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर प्रदेशभर में 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। सघन निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चिकित्सा संस्थान में इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टेण्डर्ड पूरे हों, जिन संस्थानों में यह स्टेण्डर्ड पूरे नहीं होंगे, वहां मिशन मोड में इन स्टेण्डर्ड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 5 से 7 नवम्बर तक सभी संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरे नहीं करने वाले चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिले हर हाल में टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को 17 सीसीए के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं का भी सघन निरीक्षण किया जाए, जहां भी एम्बुलेंस संचालन में कमियां पाई जा रही हैं, वहां नियमानुसार पैनल्टी लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित हो कि एम्बुलेंस संचालन योग्य हों, उनमें सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हों और क्रियाशील स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि अप्रेल माह से अगस्त माह तक एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में कमियां पाई जाने पर 2 करोड़ रूपए से ज्यादा की पैनल्टी लगाई गई है।

देशभर से बैंक कर्मचारी नेता जयपुर में जुटेंगे

जयपुर । करीब 25 साल बाद ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) केंद्रीय समिति की राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन करेगी। महासचिव महेश मिश्रा ने बताया कि इससे पहले सन् 2000 में यह बैठक जयपुर में हुई थी। यह दो दिवसीय (5-6 नवम्बर) बैठक आज से एमआई रोड स्थित होटल गोल्डन ट्यूलिप में शुरू होगी। इसे एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सी एच वेंकटचलम संबोधित करेंगे। सम्मेलन में एआईबीईए के अध्यक्ष राजन नागर और सचिव बीएस रामबाबू के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 105 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक से पूर्व मंगलवार को तारक भवन में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के महासचिव महेश मिश्रा के नेतृत्व में सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें आरपीबीईयू के चेयरमैन आरजी शर्मा और उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा सचिव महेश शर्मा भी मौजूद रहे।

शिक्षा संकुल में कूडेदान की जगह का कायाकल्प कर बनाया सभागार

जयपुर । शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया। इसका नाम ''माधव सभागार'' रखा गया है। सभागार की कुल क्षमता 40 लोगों के बैठने की है। इसके निर्माण पर 35 लाख रुपये खर्च हुए है। जिस जगह सभागार का निर्माण किया गया है, वहां पूर्व में कूडादान था, जिसे अभी आधुनिक सुविधाओं सें युक्त सभागार के रूप मे परिवर्तित किया गया है। इससे पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने भूतल पर नवनिर्मित एलीवेटर (लिफ्ट) का भी लोकार्पण किया। दिलावर ने बधाई देते हुए कहा कि, ये सभागार बहुत सुन्दर बना है, जो सभी प्रकार की बैठके आयोजित करने के लिए उपयोगी साबित होगा। भवन में ऐसे लोग भी आते है जो सीढ़ियां चढ़ने मे सक्षम नहीं होते है। ऐसे लोगों के लिए नवीन एलीवेटर (लिफ्ट) प्रारम्भ होने सें बहुत लाभ होगा। लोग आसानी सें भवन के सभी कक्षों मे पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर सभागार निर्माण मे

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया।

उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुमित तिवारी, अधिशाषी अभियंता, समग्र शिक्षा, महाराजा सक्सेना, सहायक अभियंता, समग्र शिक्षा तथा ओपन स्कूल के सहायक निदेशक गिरिराज गुप्ता, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर अक्षिता शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले ड्राईवर के खिलाफ मामला दर्ज

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । विश्वकर्मा स्थित लोहा मंडी में सोमवार की दोपहर नशे में धुत्त डंपर चालक ने एक कार चालक से मामूली कहासुनी के आवेश में आकर 14 लोगों को बेरहमी से कुचलता हुआ निकल गया था। हादसे के बाद मुख्य मार्गो में कोहराम मच गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच दुर्घटना अनुसंधान ईकाई की जगह हरमाड़ा थाना अधिकारी उदयसिंह करेंगे। पुलिस इस प्रकरण की जांच भी आपराधिक मामले की तरह गहनता से करेंगी।

- **हरमाड़ा थाना इंचार्ज उदयसिंह करेंगे इस प्रकरण की जांच**
- **बीएनएस की धारा 105 में केस दर्ज, इसमें आजीवन या 10 साल तक की कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान है**

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल दिग्प्रताप सिंह की शिकायत पर डंपर चालक कल्याण मल के खिलाफ धारा 105 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया की पूरा घटना क्रम उसकी आंखों के सामने हुआ। वो अपनी मां के साथ स्कूटी पर लोहामंडी की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर लापरवाही तरीके से आया और पैदल जा रहे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। डंपर चालक ने कई दूपहिया और चौपहिया वाहनों को भी टक्कर मारी और दर्जनों लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ गया।

एडवोकेट पंकज पंचलगिया ने बताया कि पुरानी आईपीसी की धारा 304 के तहत आपराधिक मानव वध में लगाई जाती थी। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के तहत धारा 105 गैर -इरादतन हत्या की धारा जोड़ी जाती है। जिसमें आजीवन या 10 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

राजस्थान विवि. में यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति व्यवस्था शीघ्र लागू करने की मांग

कानपुर, गोरखपुर, निम्बाहेडा और जयपुर के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पत्र लिखकर इस संबंध में जल्द ठोस कार्रवाई का आग्रह किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पत्र लिखकर राजस्थान विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) विनियमों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति व्यवस्था शीघ्र लागू करने की मांग की है। प्रो. अशोक कुमार कानपुर, गोरखपुर, निम्बाहेडा और जयपुर के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। वे आई.एस.एल.एस. एंड सोशल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष भी है।

प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल बागड़े को पत्र में लिखा है कि, ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने वर्ष 2018 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नित के लिए विस्तृत विनियम जारी किए थे। राजस्थान सरकार ने इन विनियमों में 4 संशोधन करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को इन्हें अपने परिनियमों में सम्मिलित करने के लिए आदेश दिया था। इस संबंध में राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन भी किया था, जिसकी रिपोर्ट भी राज्यपाल कार्यालय को भेजी जा चुकी है। परंतु खेद खेद का विषय है कि इस रिपोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद, राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी तक इन विनियमों को स्वीकार नहीं किया है।''

- **प्रोफेसर अशोक कुमार का कहना है कि यू.जी.सी. ने वर्ष 2018 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नित के लिए विस्तृत विनियम जारी किए थे। राजस्थान सरकार ने इन विनियमों में 4 संशोधन करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को इन्हें अपने परिनियमों में सम्मिलित करने के लिए आदेश दिया था, परंतु यह अभी तक नहीं अपनाए गए।**
- **इसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि, राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है तथा योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित कक्षाएं और अनुसंधान कार्य प्रभावित हो रहे हैं।**

प्रोफेसर अशोक कुमार का कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में यह विनियम लागू नहीं होने के कारण में आज यहां शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहे हैं और कार्यरत शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है। राजस्थान विवि. में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, यह गतिरोध लंबे समय से चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं और नियमित कक्षाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षक नहीं होने के कारण अनुसंधान कार्य भी बाधित हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिणक रैंकिंग तथा प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया सीधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।